शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-85/3055/बावन-1-2014-01(43)/08

प्रेषक,

सूर्य कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 17 नवम्बर, 2014

विषय- **मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद रामपुर में स्वीकृत 4000 इन्दिरा आवासों में से 2000 इन्दिरा आवास की समर्पित धनराशि के सापेक्ष वैकल्पिक योजनाओं राजकीय इण्टर कालेज, स्वार, टाण्डा, कमेरी, मनकपुर बंजरिया, शाहाबाद, रामपुर, राजकीय बालिका इण्टर कलेज, स्वार, रा0 बाकर इण्टर कालेज, रामपुर,रा0 जुल्फिकार इण्टर कालेज, रामपुर तथा रा0 हमीद इण्टर कालेज, रामपुर में 60 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों(प्रत्येक में 06-06) के निर्माण, 24 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन एवं राजकीय जुल्फिकार इण्टर कालेज, रामपुर में 100 बेड वाले बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(13)/2008-पी0पी0-1, दिनांक 20.10.2010 के माध्यम से जनपद रामपुर में एम0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत 4000 इन्दिरा आवासों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में केन्द्रांश की धनराशि रू0 525.00 लाख अवमुक्त की गयी थी। तदनुसार शासनादेश संख्या-1251/52-1-2012-1(43/08, दिनांक 27-07-2012 के माध्यम से प्रश्नगत कार्य हेतु उपरोक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0525.00 लाख एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 175.00 लाख अर्थात कुल रू0 700.00 लाख (रूपये सात करोड. मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- उक्त धनराशि के सापेक्ष बनने वाले 2000 इन्दिरा आवास का निर्माण कार्य लागत वृद्धि के कारण नहीं हो सका तथा उक्त धनराशि समर्पित कर दी गयी। उक्त प्रस्तावों के सापेक्ष प्राप्त रू0 635.55 लाख के नये प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 11-03-2014 को आयोजित 66वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में राजकीय इण्टर कालेज में 60 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण, 24 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन एवं राजकीय जुल्फिकार इण्टर कालेज, रामपुर में 100 बेड वाले बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

https://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्य पूर्ण करने के लिए अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(1)/2008-पी0पी0-1, दिनांक 13.08.2013 के माध्यम से परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अतएव शासन स्तर पर सम्यक विचारोंपरान्त समस्त परियोजनाओं की समर्पित धनराशि रू0 700.00 लाख के सापेक्ष रू0 635.55 लाख अवमुक्त कर योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्रमश: इण्टर कालेज में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु प्राविधानित बजट रू0 7820.00 लाख, बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु प्राविधानित बजट रू0 700.00 लाख तथा हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु प्राविधानित बजट रू0 2900.00 लाख के सापेक्ष अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु उपलब्ध बजट रू0 4682.32 लाख, बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु उपलब्ध बजट रू0 480.69 लाख तथा हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध बजट रू0 2824.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रू0 लाख में)

क्र0	योजना का नाम	अनुपात	इकाई	इकाई दर	केन्द्रांश	राज्यांश	अवमुक्त धनराशि (के0+रा0)
1	रा0 इण्टर कालेज, स्वार, टाण्डा, कमेरी, मनकपुर बंजरिया, रा0 इण्टर कालेज, शाहाबाद, रामपुर, राजकीय बालिका इण्टर कलेज, स्वार, रा0 बाकर इण्टर कालेज, रामपुर,रा0 जुल्फिकार इण्टर कालेज, रामपुर तथा रा0 हमीद इण्टर कालेज, रामपुर में 60 अति0 कक्षा-कक्षों(प्रत्येक में06-06) के निर्माण	75:25	60	7.16	322.20	107.40	429.60
2	राजकीय जुल्फिकार इण्टर कालेज, रामपुर में 100 बेड वाले बालिका छात्रावास का निर्माण	100	01	194.07	194.07	0.00	194.07
3	हैण्डपम्प के अधिष्ठापन	75:25	24	0.495	8.91	2.97	11.88
			;|X¾		**525.18**	**110.37**	**635.55**

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त

https://shasanadesh.up.nic.in

करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि निदेशक, बिन्दु-1 एवं 2 के कार्यों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को तथा बिन्दु-3 के कार्यों के लिए उ0प्र0 जल निगम को हस्तान्तरित की जायेगी।

3- राजकीय इण्टर कालेज में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण, बालिका छात्रावास तथा हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन 03 माह में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-मदों पर ही किया जायेगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक, के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।

5- योजना की गाइड लाइन्स तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय इण्टर कालेज में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, बालिका छात्रावास तथा हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित मानकों सहित गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा।

6- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत राजकीय इण्टर कालेज में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण पर एक बोर्ड का निर्माण किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, योजना की लागत, बजट का स्रोत, कान्ट्रेक्टर का नाम व भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि का अंकन होगा। कार्य के पूर्णोपरान्त उस पर स्थायी रूप से विवरण अंकित किया जायेगा।

8- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। राजकीय इण्टर कालेज में

https://shasanadesh.up.nic.in

अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण तथा छात्रावास निर्माण की विशिष्टियॉं, मानक, भवन एवं उपकरण आदि की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।

9- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

10- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11- अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

12- अवमुक्त धनराशि का दुरूपयोग होने की स्थिति में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

13- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

14- उक्त निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-जी0आई0 193/52-1-14-1(120)/2009, दिनांक 16 मई, 2014 के अनुसार निर्मित/निर्माणाधीन परियोजनाओं का थर्ड पार्टी से निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

15- राजकीय इण्टर कालेजों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के निर्माण के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण- 800-अन्य व्यय- 01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0109-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण (के0 75/रा0 25-**

https://shasanadesh.up.nic.in

के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य एवं बालिका छात्रावास के निर्माण के फलस्वरूप होने वाला व्यय अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण- 800-अन्य व्यय- 01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0115-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों**

में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में बालिका छात्रावास का निर्माण (के0 100/रा0 00-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य एवं हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के फलस्वरूप होने वाला व्यय अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0103-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन (के0 75/रा0 25-के0+रा0)**-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सूर्य कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-3055(1)/बावन-1-2014तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत राजकीय इण्टर कालेज में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण एवं एक छात्रावास निर्माण में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत 24 हैण्डपम्पों की स्थापना के लिए आवश्यक

UniCode Gov. Inter College. G.O

https://shasanadesh.up.nic.in

कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

7- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

8- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

9- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।

10- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय इण्टर कालेज में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण एवं छात्रावास निर्माण का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत 24 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं समयान्तर्गत सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

12- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

13- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रामपुर।

14- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

15- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in